



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001



मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

No. CSF/11-55/Hort/2018-19/

Dated: 3.12.2018

निविदा-सह-नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि०मी० सिरसा रोड हिसार के अधिकार में उपलब्ध पक्की डिग्गी/जलाशय को मछली पालने व बेचने हेतु निविदा-सह-नीलामी नियम के अंतर्गत 31.08.2020 तक की अवधि हेतु ठेके पर देने का प्रस्ताव है।

पक्का	ब्लॉक न०-3 (86000 आर.डी.)	100 x 100 x 3.5 मीटर	एक	10,000 (दस हजार)
-------	------------------------------	-------------------------	----	---------------------

उपरोक्त जलाशय में मछली बीज डालन, पालने एवं पकड़ने का ठेका 31.08.2020 तक के लिए देने हेतु मोहरबंद निविदाएं दिनांक 20.12.2018 को सायं 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो कि दिनांक 20.12.2018 को सायं 4.00 बजे खुली बोली नीलामी प्रक्रिया के पश्चात खोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/समूह/फर्म आदि निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने हेतु आमंत्रित है। यदि किसी कारणवश दर का निर्धारण नहीं होता है तो अगली प्रस्तावित तिथि 27.12.2018 को सायं 3.00 बजे तक उन्हीं नियम शर्तों पर पुनः आमंत्रित की जायेगी।

नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र (टैंडर फार्म) किसी भी कार्यदिवस में रू०200/- +जी.एस.टी. 18 प्रतिशत देकर फार्म कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी लिया जा सकता है। परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रू० 200/-+जी.एस.टी. 18 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट लगाकर जमा करना होगा। प्रत्येक ठेके के लिए उपरोक्त वर्णित निश्चित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। नीलामी की खुली बोली में भाग लेने के लिए नीलामी से पूर्व निश्चित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट फार्म पर नियम व शर्तों के अनुसार पैन कार्ड, पहचान पत्र, अन्य आवश्यक सबूतों आदि की प्रतिलिपि सहित जमा करना होगा।

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)

कृते उप-महाप्रबंधक(फार्म)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



फाइल सं. के.रा. फा./11-55/उद्यान /2018-19/

दिनांक -

फार्म के पक्के तालाब में मछली पालन व बेचने के लिए निविदा -सह नीलामी हेतु नियम व शर्त ।

- 1- केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार के अधिकार में उपलब्ध निम्न लिखित जलाशय में मछली पालने व बेचने हेतु 31.08.2020 तक की अवधि के लिए ठेके में देने के लिए निश्चित किया गया है । ठेके पर देने हेतु जलाशयों का विवरण निम्न प्रकार है ।

जलाशय का प्रकार	ब्लॉक / चक संख्या	जलाशय का आकार	जलाशयों की संख्या	धरोहर राशि रूपयों में
पक्का	ब्लॉक न0-3 (86000आर.डी)	100 x 100 x 3.5 मीटर	एक (1)	10,000/- (दस हजार)

2 -उपरोक्त जलाशय के लिये धरोहर राशि का डीमांड ड्राफ्ट जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ,हिसार के नाम देय हो फार्म के खजांची के पास जमा करना होगा । धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी ।

3---धरोहर राशि के लिये चैक या लिफाफे में रखी गयी नगद राशि मान्य नहीं होगी साथ ही यदि धरोहर राशि का डीमांड ड्राफ्ट निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो उस निविदा को भी निरस्त किया जा सकता है ।

4--निविदा दाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा

5- मछली पालन का कार्य 31.08.2020) तक के लिये ठेका दिया / लिया गया है, अन्तिम तिथि के बाद ठेकेदार का संबन्धित जलाशय पर कोई अधिकार नहीं होगा

6- सफल निविदादाता / बोलीदाता को बोली समाप्त होने पर स्वीकृत राशि की 25 % राशि 7 दिन के अन्दर जमा करानी होगी , 50 % राशि 30 दिवस में तथा शेष बची 25 % राशि 60 दिवस के अंदर जमा करानी होगी । सफल निविदादाता / बोलीदाता द्वारा प्रथम चौथाई राशि जमा कराने के बाद अन्य निविदा / बोलीदाता को अमानत राशि लौटाई जाएगी ।

7--सफल निविदादाता / बोलीदाता को सफल निविदा राशि का 10 % की दर से प्रतिभूति राशि 15 दिवस में जमा करानी होगी जो की ठेका समाप्त होने पर संबन्धित अधिकारी की संसूति पर बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी ।

8--सफल निविदादाता / बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

9--निविदादाता द्वारा दी गयी शर्त मान्य नहीं होगी ।

10--निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवम फ़ैक्स व पत्र आदि मान्य नहीं होगा ।

11--ठेकेदार द्वारा मछली पालने / रखवाली करने के लिये जो आदमी लगाये जायेंगे उनकी सूची पते सहित इस कार्यालय को देनी होगी । इस कार्यालय द्वारा सामयिक आज्ञा पत्र जारी किया जाएगा । आज्ञा पत्र के बिना कोई भी ब्यक्ति फार्म में मछली पकड़ने हेतु दाखिल नहीं होगा ।

12--डिग्गीओ में मछली का बीज डालने , पालन / पोषण, उनकी समस्त देखभाल करने तथा सुरक्षा करने व अन्य समस्त कार्यों की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

13-- ठेकेदार को मात्र ठेके पर दिये गये जलाशयों / तालाबो से ही मछली पकड़ने का अधिकार होगा । फार्म में अन्यत्र असंबंधित गतिविधियो , कार्यकलापों में व्यवधान / हस्तक्षेप , आग जलाना मवेशी पालना ,कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उनके ठेके से संबन्धित न हों उनमे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार द्वारा निश्चित नहीं होगा ,ऐसी गतिविधियो में संलिप्त पाये जाने पर फार्म अधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा तथा अथवा ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषिद्ध किया जा सकता है तथा इस दसा में उसकी समस्त जमा राशियाँ जब्त कर ली जाएगी ।

14--यदि मछली पकड़ने पर टेक्स / चुंगी या कोई भी ,परमिट आदि लागू होगी तो उसका प्रबंध / भुगतान ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी ।

15--डिग्गीओ में पानी की व्यवस्था फार्म द्वारा की जायेगी किन्तु साधारणतः डिग्गीओ में संचयीत पीएणनआई में से ऊपर से लगभग 5 फीट स्तर तक का पानी फसल उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया जाता रहेगा । शेष बचा हुआ पानी 5 फीट स्तर तक डिग्गी में पानी मछली उत्पादन के लिये बना रहेगा किन्तु नहर बंदी अथवा नाली फ़्लड समय पर न आने से डिग्गी में पानी का स्तर यदि 5 फीट से कम होता है तो इसके लिए फार्म प्रशासन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी ।

16 --ठेकेदार को ठेके पर दिये गए जलाशयो में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या न पकड़ सकने के कारणतथा अन्य किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणो से होने वाले नुकसान आदि के लिये किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा या छूट प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा ।

17--मत्स्य बीज संग्रहण, मछली पालन पकड़ना ,मछली फार्म से बाहर ले जाना ईत्यादी सभी कार्य दिन के उजाले में ही करने होंगे । रात्रि में मात्र मछलियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनिधि रखने का अनुरोध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकार किया जा सकता है

18 --किसी भी वाहन द्वारा मछली की ढुलाई करने हेतु फार्म के संबन्धित अधिकारी का गेट पास अनिवार्य होगा ।

19--मछली पकड़ने के लिए जाल की व्यवस्थातथा ईन्हे लाने ले जाने के लिये परिवहन के प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा ।

20--ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म के किसी भी चल / अचल संपत्ति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा ।

21-- ठेकेदार को मत्स्य बिभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो की पालना करनी होगी तथा निविदाता केंद्र व राज्य सरकार मीन अधिनियम 1953 व 1958 तथा व अन्य यदि कोई समय समय पर संशोधन नियमों के अंतर्गत बनाई सभी धाराओं / नियमों के अनुसार कार्य करना होगा

22-- ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने,घायेल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है । अएशा करने पर वे स्वय जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दंड केई भागी होंगे ।

23--ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जाये गा तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाये गी ।

24 --निविदा / बोलीदाता द्वारा अपने पहचान - पत्र / राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी । अपूर्ण पते केई अभाव में यदि कोई पत्र आदि / सूचना निविदा /बोली दाता के पास नहीं पहुचती तो फार्म की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

25--फार्म अधिकारी को निविदा / नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

26--यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हों या फार्म के हिट में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों पालन न करता हों तब ऐसी दशा में फार्म अधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके को शर्त सं 0 -23 के अनुसार निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिये ब्लैक लिस्ट कर निगम के फार्मों पर ठेके के अयोग्य घोषित कर दें ।

27-- बिलम्ब से जमा किये जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिये ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा । निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जाये गा । इसके बाद पुनः निविदा / नीलामी में यदि कम निविदा दर आने पर निगम /फार्म को नुकसान होता है तो उसकी भरपायी ठेकेदार से की जायेगी ।

28 -- रु 100/= के स्टाम्प पेपर पर नियम व शर्तों का अनुबंध दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ देना होगा ।

29--- किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामले को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के माननीय अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष निपटान हेतु पेश किया जाये गा जिनका फैसला अंतिम होगा व दोनों पक्षों को मान्य होगा , फिर भी विवाद होने पर न्याय हेतु हिसार न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा ।

घोषणा --मैने फार्म में मछली ठेके की निविदा -सह-नीलामी की शर्तें पढ़ ली हैं । उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैने अपनी रजामंदी से ,बिना किसी दबाव के पूर्ण होशोहवाश में किये हैं । मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गयी हैं तथा ये शर्तें केंद्रीय राज्य फार्म हिसार के साथ मेरे द्वारा किये गए अनुबंध का भाग मानी जाये गी ।

स्थान

निविदा / बोली दाता के हस्ताक्षर

दिनांक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरात्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913



केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 ज़ड. Sirsa Road Hisar-125001

लय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

No. CSF/11- 55/Hort/2018-19 /

दिनांक-

निविदा प्रारूप

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक . CSF/11- 55/Hort/2018-19/ 999

दिनांक : 03.12.2018

निविदा भेजने हेतु पता ---- उप महा प्रबन्धक (फार्म), 10 कि.मी., सिरसा रोड , केन्द्रीय राज्य फार्म,
हिसार 125001

विषय -- केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार जिला हिसार के अधिकार में उपरोक्त निविदा / विज्ञप्ति में
संदर्भित निम्न लिखित जलाशयों को मछली पालने व बेचने हेतु 31.08.2020
तक अवधि के ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र ।

1-निविदादाता का नाम

2-पिता / पति का नाम

3-पूरा पता

4-दूर भाष नम्बर

5-पैन न०.....

6-पहचान पत्र / आधार कार्ड आदि छाया प्रति संलग्न करें.....

7-निविदा शुल्क () रसीद स०..... दिनांक.....

अथवा डिमांड ड्राफ्ट न० दिनांक.....

(प्रतिलिपि संलग्न करें)

हस्ताक्षर

निविदा राशि प्रस्ताव (टेंडर आफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि०मी० सिरसा रोड़ हिसार के अधिकार मे संदर्भित निम्नलिखित जलाशय/पक्की डिग्गी को मछली पालने व बेचने हेतु निविदा-सह-नीलामी नियम के अंतर्गत 31.08.2020 तक की अवधी हेतु ठेके पर देने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

ठेका न०	जलाशय का प्रकार	ब्लाक/चक संख्या	जलाशय का आकार	जलाशयों की संख्या	ठेका अनुसार मूल्य प्रस्ताव (रुपयों में)
1	पक्का	ब्लाक न०-3 (860000आर.डी)	100*100*3.5 मीटर	एक (1)	

धरोहर राशि का विवरण

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये / किये जाने वाली राशि का विवरण

ठेका न०	बैंक ड्राफ्ट नंबर	दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम	शाखा का नाम	धरोहर राशि (रुपये में)
1					

(उपरोक्त डीमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं / हम यह प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त निविदा कि सभी शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं। शर्तों कि प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित है।

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त निविदा कि सभी शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं। शर्तों कि प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता